COVID-19

सरकारी कार्यालयों के काम करने के बारे में

दुविधाये और समाधान

१. यह कदम उठाने का उद्देश्य?

COVID-19 वायरस के प्रकोप का मुकाबला करने के संदर्भ में इस आदेश में कुछ असाधरण कदम उठाये गए है, जो अस्थायी (कुछ) समय के लिए लागु किये गए है, जिसमे नागरिको और कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से सेवा देने के बारे में है, जिसमे कॉउंसलर सेवाएं, भी शामिल है, इस कदम के उठाये जाने का उद्देश्य यह है के, एक तरह से, लोगों का प्रत्यक्ष सरकारों दफ्तरों में जाने पे रोक लगायी जाये, इस तरह से बेवजह लोग एक दूसरे के संपर्क में न आये, और, दूसरी तरफ, जो लोग अभी भी काम पे जा कर लोगो को आवश्यक सेवा उपलब्ध करवाने में मदद कर रहे है और जो इन सेवाओं का लाभ लेते है उन सब के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षता और सुविधा की स्थिति का ध्यान रखा सके.

२. किसके लिए, लीये गए है यह कदम?

लीये गए कदम COVID-19 वायरस के प्रकोप का मुकाबला करने के संदर्भ में सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियो द्वारा मंजूर किये गए है, यह और दूसरे असाधारण कदम उन सारे नागरिको और कंपनियों के लिए है जिनको सार्वजनिक दफ्तरों में जाने की जरुरत पड़ी है/ पड़ेगी, ऐसे भी कुछ उपाय किये गए है जो हर एक कार्यालय के उत्तरदायी अफसर और उस दफ्तर में जानेवाले नागरिको के लिए है.

३. कब इनको लागु किया गया और इनकी अवधि कब तक की है?

यह उपाय या ठोस कदम १५ मार्च से लागु किये गये और जब तक इनको ख़त्म करने का ऐलान ना दीया जाये तब तक इनका पालन किया जायेगा, जिसमे निचे दिए गए क्रमांक १३ और १४ में बताई गयी बातें अपवाद है.

४. यह लिए गए कदम क्या सार्वजानिक स्वास्थ्य सेवाओं और आतंरिक प्रशाशन पे भी लागु होंगे?

नहीं यह जरुरी नहीं है, सार्वजानिक स्वास्थ्य सेवाओं और आतंरिक प्रशाशन, या कही और जहा आपको सेवा उपलब्ध करवाने के लिए, जहा विशेष रूप से कुछ विशिष्ट उपायों की आवश्यकता होगी, वहाँ प्रत्येक मामले के लिए विशेष बनाये गए नियमो का पालन किया जायेगा.

++++ नागरिको और कंपनियां +++

५. मुझे कोई सार्वजनिक दफ्तर में अपनी दुविधा का हल पूछना है, कैसे करू?

विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने की सेवा केवल टेलीफोन या ऑनलाइन द्वारा प्रदान की जायेगी ताकि सार्वजनिक कार्यालयों जो कार्यरत है वहाँ जाने की अनावश्यक यात्रा से बचा जा सके.

६. मुझे सरकारी दफ्तर में खुद जाना है, कैसे करू?

आपकी स्वयं की उपस्थित में सरकारी दफ्तर में जाने के लिए आप को पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसमे, नियमानुसार, सीमित सेवा जो ऑनलाइन ना दी जा सकती हो और जिनको तत्कालरूप से बहोत ही जरुरी माना जाये वोही उपलब्ध की जाएँगी.

७. मैं कैसे पहले से अपॉइंटमेंट ले सकता हु? और कैसे पता चलेगा के कौन से दफ्तरों में यह मुमकिन है?

नागरिकों और कंपनियों के लिए दफ्तरों में पहले से अपॉइंटमेंट लेने के लीये Portal ePortugal की वेबसाइट (https://eportugal.gov.pt/) पे और टेलीफोन की सम्पर्क की व्यवस्था की गयी है, इसके इलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों की अपनी हेल्पलाइन भी है जिसपे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते है.

कौन से काम आप खुद जा कर सकते है यह सरकार और उन्ही विभागों के दफ्तरों के अधिकारी तय करेंगे. यह जानकारी आप ऊपर दी गयी Portal ePortugal की लिंक पे भी प्राप्त कर सकते है.

८. नागरिको और कंपनियों के लिए कौन सी फ़ोन हेल्पलाइन उपलब्ध की गयी है? कौन सी परिस्थितियों में इनपे फ़ोन सकता हू?

फ़ोन द्वारा मदद के लिए सरकारी दफ्तरों की डिजिटल सेवा की २ हेल्पलाइन बनाई गयी है; एक नागरिको/आम जनता के लिए और दूसरी व्यवसाय सम्बंधित (कंपनियों) के लिए है. आम जनता के लिए आप ३०० ००३ ९९० पे संपर्क करें और व्यवसाय सम्बंधित जानकारी के लिए ३०० ००३ ९८० का संपर्क करें.

९. क्या सरकारी दफ्तरों में सीमीत लोगों को ही सेवा उपलब्ध की जाएगी?

हाँ, जितने लोग किसी भी दफ्तर के कमरे में होने चाहीये और सरकारी कार्यालय में उस दफ्तर के कमरे की क्षमता के सिर्फ एक तिहाई लोगो को ही अंदर जाके अपना काम करने की अनुमति दी जाएगी. वह दफ्तर के उत्तरदायी अधकारी यह तय करेंगे के वह दफ्तर में कितने लोग एक साथ जा सकते है, जो दो व्यक्तिओ के बिच सामाजिक अंतर रखने का आदेश जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघठन और यहाँ के स्वास्थ्य महानिदेशालय ने दिया है उसकेअनुसार किया गया हैं.

१०.कैसे मैं खुद कही जा कर अपने खर्चे/फीस का भगतन कर सकता हु?

फ़ीस/खर्च का भुगतान आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकते है (बैंक कार्ड, Mbway या और तरीके से).

११. सरकारी दफ्तर जहाँ लोगो को जाने की अनुमति है क्या वह बंद हो सकते है? कौन सी परिस्थियों में?

हाँ, प्रत्यक्ष रूप से (आप खुद जा कर लोगो को)सेवा देना या ऐसे किसी भी दुकान या दफ्तर का पूरी तरह से बंद होना और स्थगित (कुछ समय के लिए बंद) करना, यह या सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित/तय करेंगे या फिर उनकी अपने काम करने की व्यवस्था की अनुपलब्धता पे आधारित है या वह काम करनेवाले पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या पे भी आधारित हो सकता है

अपर्याप्त (जरुरत से कम) कर्मचारियों की संख्या जो कि बीमारी की वजह से, जिसमे वह खुद या उस कर्मचारी पे निभनेवाले लोग, जिनको बीमारी की वजह से अलग रहने का आदेश दिया गया है और काम पे नहीं जा रहे, या फिर वह कर्मचारिओं को अपने १२ साल से छोटे बच्चो या किसी अपने का ख्याल रखने के लिए घर पे रहने को कहा गया है, इनपे निभनेवाले लोगो में कोई भी किसी भी उम्र का, विक्लांग या पुरानी बीमारी वाला हो, साथ में स्कूल या किसी शैक्षणिक संस्था या किसी सामाजिक संस्था का बंद होने के वजह से भी घर पे रहा हो.

१२. कैसे मैं यह जान सकता हु के कौन से सरकारी दफ्तर बंद है?

Portal ePortugal पे जिसकी लिंक ऊपर दी गयी है.

१३.मेरे सरकारी दस्तावेज़ की वैधता अगले कुछ दिनों में समाप्त हो रही है. मुझे क्या करना चाहिए?

आप उनका ऑनलाइन नवीकरण (रिन्यूअल) करवा सकते है अगर यह संभव है तो, इसकी जानकारी आपको Portal ePortugal पे मिलेगी, हालांकि, सभी सरकारी अधिकारी ३० जून तक वह सारे सरकारी दस्तावेज़ को मान्य कर रहे है जिनकी वैधता २४ फरवरी २०२० से समाप्त हो गयी थी.

१४. इस अवधि के बीच समाप्त किए गए कौन से दस्तावेज़ अधिकारियों द्वारा स्वीकारे जायेंगे?

२४ फरवरी के बाद जो दस्तावेज़ों की सीमा अवधि खतम हो गयी है उनका ३० जून तक अधिकारियो द्वारा स्वीकार किया जायेगा वह यह सारे है, जैसे की, पहचान पत्र (cartão de cidadão), ड्राइविंग लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र (PCC), और वह सारे दस्तावेज़ और वीज़ा जो आपको इस देश के राष्ट्रीय क्षेत्र के में रहने के समबन्धित अनुमति देते है. वह सारे दस्तावेज़ जिनके नवीकरण की अवधी २४ फरवरी से समाप्त हो रही है उनको अभी नवीनीकृत नहीं किया जायेगा, उन्हें कानूनीतौर पे उन्हें ३० जून तक मान्य किया जायेगा.